न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 70/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पोकरराम पुत्र हरदेवजी जाति भाम्बी निवासी धनेरिया तहसील जैतारण जिला पाली		1. भीकाराम पुत्र हरदेवजी 2. श्रीमती पानी पत्नी हरदेवजी जातिगण भाम्बी निवासीगण धनेरिया तहसील जैतारण 3. तहसीलदार भूमिधारी जैतारण 4. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. (वर्तमान एस.बी.आई.) शाखा जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 25.2.2019

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2016 पोकरराम बनाम भीकाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धनेरिया के खसरा नम्बर 399, 401, 541 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी भूमि हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि के विभाजन एवं स्थाई व्यादेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, जहां किसी प्रकार का राजीनामा नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा अंकित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, वह पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि पटवारी हल्का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत नहीं था। जिस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है, वह भूमि रेस्पोडेन्ट के हिस्से में रखी गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण किए बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलाण्ट के हिस्से में जो भूमि रखी गई है, उसमें आवागमन का रास्ता ही नहीं रखा गया हैं। विधि अनुसार तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना था, जो नहीं किया गया। इन कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि हैं। जैर अपील विवादित आराजी का मौके पर विभाजन हो चुका हैं तथा विभाजन के अनुरूप मौके पर काबिज काश्त हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित थे तथा आपसी सहमति से मौका एवं रेकर्ड के अनुसार विभाजन कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में मौके की स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जो तहसीलदार की उपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प केकिन्दडा में विधिवत सुनवाई की जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के नाम जो सम्मन जारी किए गए, उनकी तामील होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए, इस कारण रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने एवं उसमें रेस्पोडेन्ट्स ने उपस्थित होकर माफिक अनुतोष वाद स्वीकार कराने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 09.04.2018 को मौका फर्द तैयार कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर पटवारी हल्का, पक्षकारान् के साथ साथ स्वयं तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है। यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष की स्वीकृति के आधार पर पारित आदेश की पालना में मौका निरीक्षण किया गया तथा वक्त मौका निरीक्षण दोनों ही पक्ष मौके पर उपस्थित थे, जिसकी ताईद मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित इबारत से होती हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर राजस्व लोक अदालत में विधिवत सुनवाई करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत हैं। इसके अतिरिक्त भी लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 की उप–धारा के तहत पोषणीय नहीं होती हैं। तद्नुसार भी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए मजमें आम में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2016 पोकरराम बनाम भीकाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली